10 (1)

न्यायालय जिला कलक्टर, चूरू
**पीठासीन अधिकारी – सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर, चूरू (राजस्थान)**

प्रार्थना–पत्र संख्या 95 सन् 2021 निर्णय दिनांक: 14.02.2022

सोनिया पुत्र गिरधारी निवासी कुम्भाराम पार्क, प्रेमनगर किराड़ी सुलेमान नगर, दिल्ली
– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी प्रथम, चूरू
– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 451, 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता

---

**उपस्थिति :–**

श्री शिवसिंह राठौड़, वकील – प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सी.आर.पी.सी. की धारा 451 व 457 के तहत प्रार्थी द्वारा इस आशय का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया कि सरदारशहर थाना में प्रथम सूचना संख्या 287/2021 अपराध अधिनियम अन्तर्गत धारा 3/5, 5/8, 9 राज. गौ.वं. पशु अधिनियम 1995 के तहत दर्ज किया गया है। प्रार्थी के नाम से एक ट्रक सं0 एच.आर. 46 डी 9506 पुलिस थाना सुजानगढ़ द्वारा जब्तशुदा है। उक्त प्रकरण से सम्बन्धित जांच पूर्ण हो चुकी है उक्त वाहन व कागजात अधिक समय तक पुलिस थाना सरदारशहर में रहने पर वाहन के रंग रोगन में कमी आ जायेगी जिससे उसकी कीमत मे कमी आयेगी व गाडी के कागजात खुर्द–बुर्द हो जायेंगे व प्रार्थी उक्त जब्त शुदा वाहन को न्यायालय में या अन्य किसी विभाग आदि के समक्ष पेश करने को आदेश दिया जाएगा तो प्रार्थी उक्त वाहन मय कागजात न्यायालय के आदेशानुसार पेश कर देगा एवं आदेश की पालना करने के लिए तत्पर रहेगा। अतः प्रार्थी को उक्त ट्रक सं0 एच.आर. 46 डी 9506 को सुपुर्दगी पर दिया जावे।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 09.12.2021 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना सरदारशहर से प्रकरण के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई।

पुलिस थाना सरदारशहर से दिनांक 11.2.2021 को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई कि सरदारशहर थाने में प्राप्त सूचना पर पुलिस जांच राणासर बीकान की रोही के पास पहुंचने पर वाहन ट्रक सं0 एच.आर. 46 डी 9506 खड़ा मिला। ड्राईवर गाड़ी के कागजात लेकर भाग गया। वाहन खलासी का नाम पूछने पर रहमत पुत्र तोतिया जाति बणजारा निवासी मण्डी भास्करगज जलालाबाद तहसील व जिला शामलो उत्तरप्रदेश बताया। ट्रक की डाला बॉडी चेक की तो उसमें 10 गाय व 6 बछड़े भरी हुई पायी गई। खलासी से पूछा कि गौवंश को कहां ले जा रहे है तो पंजाब से भरकर जाहिराबाद महाराष्ट्र ले जाना बताया। खलासी रहमत को भागने वाले ड्राईवर का नाम पूछा तो शौकिन निवासी नागलोई दिल्ली कार रहने वाला बताया। खलासी रहमत को ट्रक में गौवंश भरकर जाने व ले जाने बाबत् परमिट के बारे में पूछा तो अपने पास कोई लाईसेन्स अथवा परमिट नहीं होना बताया। इसलिए खलासी रहमत व चालक ताहीर पुत्र समीरा जाति बन्जारा उम्र 52 साल निवासी हाजीपुर तहसील मेरठ व जिला मेरठ द्वारा ट्रक सं0 एच.आर. 46 डी

जिला कलेक्टर

9506 में उक्त गौवंश को क्षमता से अधिक भरकर बिना परमिट गायों का वध करने के प्रयोजन से परिवहन करना जुर्म धारा 3/8, 5/8, 9 राज. गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और प्रवृजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत दण्डनीय अपराध होने के प्रमाणीकरण पर प्रकरण दर्ज किया जाकर चालक के विरूद्ध एफ.आई.आर. 287/2021 दर्ज की गई। न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय सरदारशहर जिला चूरू में दिनांक 22.11.2021 को चालान पेश किया गया है। प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। मुकदमा में जप्त ट्रक सं0 एच.आर. 46 डी 9506 से कोई अनुसंधान शेष नहीं है व जब्त वाहन की कोई आवश्यकता नही है।

वकील प्रार्थी ने बहस में सुपुर्दगी प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा, कि प्रकरण में जब्तशुदा गाड़ी ट्रक संख्या एच.आर. 46 डी 9506 का प्रार्थी मालिक है। प्रार्थी का उक्त वाहन पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। वाहन से अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। उक्त वाहन प्रार्थी की आय का एकमात्र जरिया है, पिकअप जब्त किये जाने के कारण प्रार्थी बेरोजगार हो गया है व परिवार के पालन पोषण का भी संकट पैदा हो गया है। पुलिस थाना परिसर में वाहन के खुले में खड़े रहने पर रंग–रोगन व टायर–ट्यूब आदि खराब हो जायेगें। उक्त ट्रक की आर.सी., फिटनेस, परमीट, बीमा, टेक्स रिसिप्ट तथा डीएल को आपके न्यायालय या अन्य किसी विभाग आदि के समक्ष पेश करने का आदेश दिया जाएगा तो प्रार्थी उक्त वाहन मय कागजात आदेशानुसार पेश कर दिया जावेगा। चूंकि प्रकरण के निस्तारण में समय लगेगा। अतः प्रकरण में जब्तशुदा वाहन को साधारण जमानत पर सुपुर्द किये जाने की कृपा करें।

पुलिस थाना सरदारशहर की तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। चूंकि जब्त वाहन के थाने में खड़ा रहने पर नुकसान होने की सम्भावना है। पुलिस थानाधिकारी सरदारशहर की रिपोर्ट दिनांक 11.02.2022 के अनुसार ट्रक सं0 एच.आर. 46 डी 9506 के संबंध में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है व वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी की ओर से निम्न शर्तों के तहत 50/– रूपये के स्टाम्प पर चार लाख रूपये का सुपुर्दगीनामा व चार लाख रूपये का जमानतनामा पेश किये जाने पर सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा तस्दीक किया जाये।

शर्ते–

1. प्रार्थी उक्त वाहन का न्यायालय से निर्णय होने तक किसी व्यक्ति को बेचान व स्थानान्तरण नहीं करेगा।
2. प्रार्थी वाहन के रंग–रोगन का न्यायालय की स्वीकृति के बिना परिवर्तन नहीं करेगा।
3. न्यायालय द्वारा जब भी वाहन को तलब किया जावे तो प्रार्थी स्वंय के खर्चे पर वाहन को न्यायालय में हाजिर रखेगा।
4. इसी प्रकार के अपराध में वाहन का प्रयोग लिया गया तो सुपुर्दगी व जमानतनामा निरस्त समझे जायेगें और वाहन को पुनः कब्जे में लिया जा सकेगा।

उपरोक्त शर्तो के अध्यधीन प्रार्थी श्री सोनिया पुत्र गिरधारी निवासी कुम्भाराम पार्क, प्रेमनगर किरारी सुलेमान नगर, दिल्ली को वाहन ट्रक सं0 एच.आर. 46 डी 9506 के सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है।

जिला कलेक्टर
चूरू

थानाधिकारी पुलिस थाना, सरदारशहर को तदनुसार पत्र जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर नंबर से कम की जाकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर, चूरू